दिनांक-19.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार कब्जे से देशी 06 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध मादक पदार्थो/शराब तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व मे थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर एक शातिर शराब तस्कर अभियुक्त **इस्तकार पुत्र जमील निवासी मौहल्ला मीरधान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को रायपुर रोड स्थित सोसाईटी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **06 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर **मु0अ0स0 143/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ, और नशे का आदी हूँ। यह शराब मै हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में लाकर आसपास को लोगो को मंहगे दाम में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- इस्तकार पुत्र जमील निवासी मौहल्ला मीरधान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 06 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना सरसावा, सहारनपुर।
2.है0का0 71 प्रदीप थाना सरसावा, सहारनपुर।
3.का0 2423 मनमोहन थाना सरसावा, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.06.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.05.2024 को वादी श्री दिव्य प्रकाश भारती पुत्र महेन्द्र सिहं निवासी दभेडी थाना थानाभवन जनपद शामली ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण **1. सादिक पुत्र सिक्का उर्फ सगीर, 2. मोईन पुत्र तौहीद निवासीगण मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी के छात्रो के साथ मारपीट, जाति सूचक शब्द, गाली गलौच करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना जनकपुरी पर **मु0अ0सं0 89/2024 धारा 147/323/504/506 भादवि व 7 सी.एल. एक्ट व 3(2)(5)क एससी/एसटी एक्ट** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण में, वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.06.2024 को 02 वांछित अभियुक्तगण **1. सादिक पुत्र सिक्का उर्फ सगीर, 2. मोईन पुत्र तौहीद निवासीगण मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को सपना पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सादिक पुत्र सिक्का उर्फ सगीर निवासी मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मोईन पुत्र तौहीद निवासी मो0 नई बस्ती खानआलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रनपाल सिहं, थाना जनकपुरी, स0पुर।
2. उ0नि0 श्री राजपाल सिहं, थाना जनकपुरी, स0पुर।
3. कां0 2052 रोहितसैन, थाना जनकपुरी, स0पुर।
4. कां0 2487 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
5. कां0 2166 साहुल, थाना जनकपुरी, स0पुर।

दिनांक - 19.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का मात्र 12 घण्टे में अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाईल फोन,01 मोटर,02 पीली धातु के सिक्कें व 5500 रुपयें नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.06.2024 को वादिया श्रीमति प्रियंका पत्नी विरेन्द्र सैन निवासी पुष्पांजली विहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से आज रात्रि में करीब 02 बजे महिन्द्रा कम्पनी की 01 मोटर रंग काला-सफेद, 01 मोबाईल फोन ग्रीन बैरी कीपैड, रंग काला, 01 मोबाईल फोन नीले रंग का सेलर कीपैड और पीली धातु के दो सिक्के तथा 5500 रु0 नकद और सफेद धातु की कुछ चीजो को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर **मु0अ0सं0 116/2024 धारा 380 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज ही दिनांक 19.06.2024 को **नजर पुत्र इरशाद निवासी आकाश विहार शालू वाली गली जनता रोड चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को घोसिया वाली मस्जित के पीछे खाली पडे प्लाट से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से अभियुक्त के कब्जे से **01 मोटर महिन्द्रा कम्पनी, 01 मोबाईल फोन ग्रीन बैरी की-पैड रंग काला, 01 मोबाईल फोन (की-पैड) नीला रंग सेलर कम्पनी का और पीली धातु के 02 सिक्के व 01 नाजायज चाकू बरामद** किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा **411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट** की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नजर उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि आज रात्रि को करीब 02 बजे मैने पुष्पांजली विहार से एक मकान में चोरी कर ली थी। जो सामान मुझसे बरामद हुए है, यह वही चोरी का सामान है तथा यह चाकू मै अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नजर पुत्र इरशाद निवासी आकाश विहार शालू वाली गली जनता रोड चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोटर महिन्द्रा कम्पनी
- 01 मोबाईल फोन Green Berri की-पैड रंग काला
- 01 मोबाईल फोन Celloor की-पैड, रंग नीला
- 02 सिक्कें पीली धातु
- 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1.उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2.है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3.है0कां0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

दिनांक - 19.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा अपहर्ता को सुकशल बरामद किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.06.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की पोती को शुभम पुत्र सहेन्द्र निवासी तल्हेडी बुजुर्ग थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के ले जाने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 300/2024 धारा 366 भदावि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहर्ता की सकुशल बारमदगी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा दिनांक 19.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर अपहर्ता को देवबन्द मंगलौर अड्डे से सकुशल बरामद किया गया एवं पीडिता के धारा 161 सीआरपीसी के बयान अंकित करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. म0का0 73 शिवानी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 19.06.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए बाद पुलिस मुठभेड 02 शातिर अभियुक्तगण व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 17-06-2024 को वादी नफीस अहमद पुत्र अनीस अहमद निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी व वादी के परिजन व पडोसियो पर जान से मारने की नियत से फायर करने से सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0 195/2024 धारा 34/307 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 19.06.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विवेचना में प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.हिमांशु पंवार पुत्र विनोद पंवार निवासी ग्राम घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान हाल निवासी मौ0 शिवपुरी निकट रेलवे फाटक रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर (बाल अपचारी) 2.मोनू उर्फ रजनीश पुत्र प्रवीण 3. आदित्य पुत्र प्रमोद निवासीगण ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर (जिलाबदर)** को भांकला रेलवे अण्डरपास के नीचे से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 तमन्चा, 01 खोखा (नाल में फंसा हुआ) व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0-199/2024 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 10 यू पी गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर जिलाबदर अभियुक्त आदित्य उपरोक्त ने बताया कि मेरी 05 महीने पहले आलम पुत्र आदिल निवासी मौ0 बंजारान कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर से अपनी मोटरसाइकिल का लॉक खोलने के लिये उससे उसकी मोटरसाइकिल की चाबी मांगी थी उसने नही दी थी इसी बात को लेकर मेरी आलम से कहासुनी हो गयी थी मेने यह बात मोनू उर्फ रजनीश व हिमांशु पंवार से बताई हमे मालूम चला कि आलम ईद पर घर आया है तथा नफीस के घर के बाहर बैठा है जिस पर दिनांक 17.06.2024 की रात्रि 10 बजे करीब हम तीनों मोटरसाइकिल से मौ0 बंजारान में घर से बाहर 4-5 व्यक्तियो के साथ बैठा था मै मोटरसाइकिल पर पिछे बैठा था मैने चलते हुए आलम पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। आज भी हम तीनों मोटरसाइकिल पर बैठकर सहारनपुर जा रहे थे तो सामने पुलिस को चैकिंग करते देख पकड़े जाने के डर से बाइक से भागने लगे तो पुलिस को पास आते देख मैने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मोनू उर्फ रजनीश पुत्र प्रवीण निवासी ग्राम निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. आदित्य पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम मुण्डीखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर **(जिलाबदर)**
3. हिमांशु पंवार पुत्र विनोद पंवार निवासी ग्राम घाटेडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल निवासी मौ0 शिवपुरी निकट रेलवे फाटक रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर **(बाल अपचारी)**

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस (नाल में फंसा हुआ) 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त आदित्य का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 195/24 धारा 307,34 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 199/24 धारा 307/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट तथा 10 यू पी गुण्डा एक्ट थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 004/23 धारा 392/411/120 बी भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 006/23 धारा 392/411/120 बी भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 91/23 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 93/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 303/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4. का0 2049 ब्रिजेश कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
5. का0 2215 ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
6. का0 1887 अंकित सोम थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर